50 प्र/निग०/रीवा/2018/0180

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र0—...............

1— जय प्रकाश
2— राजप्रकाश
3— देवप्रकाश

तीनो के पिता कौशल प्रसाद ब्रा0 साकिन लौरखुर्द, थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 ———————निगरानीकर्ता

बनाम

1— भगवानदास तनय रामफल राम ब्रा0 फौत
2— हनुमान प्रसाद तनय रामफल राम ब्रा0 ला.फौत (दोनो के वारिसान)
क— मोतीलाल तनय भगवानदास
ख— जवाहरलाल तनय भगवानदास
ग— हीरालाल तनय भगवानदास मृतक वारिसान
   अ— वीरेन्द्र कुमार तनय हीरालाल
   ब— लवकुश प्रसाद तनय हीरालाल
   सभी निवासी ग्राम लौर खुर्द थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0
घ— ज्वाला प्रसाद तनय भगवानदास मृतक वारिसान
   अ— गेंदावती पत्नी ज्वाला प्रसाद ब्रा0 साकिन लौरखुर्द, हाल पता द्वारा श्री सच्चितानन्द तिवारी वार्ड क्र0—08 मकान नं0—481 बोदाबाग आनन्द नगर रीवा म0प्र0
3— थाना प्रभारी थाना लौर, पदेन तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0
4— पुलिस अधीक्षक रीवा पदेन, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0
5— म0प्र0 शासन कलेक्टर रीवा म0प्र0 ———————————गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0श्री जे.पी. नारायण द्वारा पेश। 22.12.17
कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी प्रकरण क्र0—128/अ—6/2013—14 दिनांक 20.09.2017 पीठासीन अनुविभागीय अधिकारी श्री कमलेश पुरी, तहसील मऊगंज/हनुमना रीवा म0प्र0 के आदेश से परिवेदित पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

मान्यवर्

निगरानी का स्वरूप

1— यहकि गैरनिगरानीकर्ता क्र0—01 मृतक भगवानदास द्वारा वर्ष 1975 में निगरानीकर्तागण के वसीयतकर्ता भगवानदीन तनय लक्ष्मणराम ब्रा0 को धोखा देकर कपटपूर्वक एक बार वादग्रस्त आराजी का विक्रय व नामांतरण कराने के बाद पुनः गैरनिगरानीकर्ता क्र0—03 के पक्ष में विधि प्रकिया के विपरीत नामांतरण पंजी क्र0—48 पर आदेश दिनांक 14.10.1975 को अन्तरित कर दिया गया था, जिसकी जानकारी पुनरीक्षणकर्तागणों को दिनांक 30.07.2014 को हुई थी, जिसके नकल का आवेदन अभिलेखागार

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो / निगरानी / रीवा / भूरा / 2018 / 0180

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23 –5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री जे0 पी0 नारायण उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज / हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 128 / अ–6 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.9.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज / हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 128 / अ–6 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.9.17 अंतिम आदेश है और उसके विरूद्व द्वितीय अपील का प्रावधान है। जबकि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंतिम आदेश के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	